स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण

बिहार इन्फ्रापॉवर लिमिटेड

एकल वित्तीयविवरण लेखा रिपोर्ट

मत

हमने बिहार इन्फ्रापॉवर लिमिटेड (कम्पनी) की एकल वित्तीय विवरण लेखा रिपोर्ट का लेखा परीक्षण किया है। इसमें 31 मार्च 2019 तक के तुलनपत्रक (बैलेंस शीट), लाभ और हानि संबंधी विवरण, शेयर में परिवर्तन संबंधी विवरण और समाप्त हुए वर्ष में नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा अन्य स्पष्टीकरण के सारांश सहितवित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणी शामिल है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत अपेक्षित सूचनाएं उपलब्ध कराता है तथा भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा परीक्षण सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2019 तक कम्पनी के मामलों की, इसके हानि-लाभ (अन्यविस्तृत आय सहित), शेयरों में परिवर्तन और समाप्त हुए वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह की स्थिति सहित वास्तविक और निष्पक्ष जानकारी देता है।

मत का आधार

हमने कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143 (10) के तहत स्पष्ट लेखा परीक्षण मानकों (एसएएस) के अनुरूप लेखा परीक्षण कार्य पूरा किया। इन मानकों के तहत हमारे उत्तरदायित्वों का हमारी रिपोर्ट में **वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण मेंलेखाकार के दायित्व** खंड में वर्णन किया गया है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्था से जारी नीति संहिता तथाअधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार एकल वित्तीय विवरण के लेखा परीक्षण के लिए नीति संबंधी अपेक्षाओं के अनुरूप हमारी कम्पनी एक स्वतंत्र कम्पनी है तथा हमने अपने अन्य नीतिगत दायित्वों को इन अपेक्षाओं और नीति संहिता के अनुरूप पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्य हमारी राय का आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और समुचित हैं।

एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और प्रशासन प्रभारियों के दायित्व

कम्पनी का निदेशक मंडल कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 134 (5) में उल्लिखित मामलों के प्रति उत्तरदायी हैं। ये मामले कम्पनी की वित्तीय स्थिति के बारे में सही और निष्पक्ष जानकारी देने, उसके वित्तीय प्रदर्शन (अन्य व्यापक आय सहित), अधिनियम के अनुच्छेद 133 के तहत कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015 सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूपकम्पनी के शेयरों और नकद प्रवाह में बदलाव से संबंधित हैं। इन दायित्वों में कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा संबंधी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड का प्रबंधन और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और रोकथाम; समुचित लेखांकन नीतियों का चुनाव और लागू करना;तर्कसम्मत और ठोस निर्णय और आकलन; तथा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तय करना, उनका क्रियान्वयन और प्रबंधनभी शामिल है। आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, वास्तविक और निष्पक्ष दृष्टिकोण तथा गलत बयानी से मुक्त, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या भूल के कारण, वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित है।

एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी में निदेशक मंडल कम्पनी के जारी रहने की क्षमता के आकलन और जारी रखे जानेकी क्षमता को स्पष्ट करने तथा लेखा परीक्षण के लिए इसे आधार बनाने के लिए उत्तरदायी है,जब तक कि निदेशक मंडल कम्पनी को समाप्त करना या उसका संचालन बंद करना न चाहता हो या उसके पास ऐसा करने के सिवाए कोई अन्य विकल्प न हो।निदेशक मंडल कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की समीक्षा के लिए भी उत्तरदायी है।

एकल वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के लिए लेखा परीक्षक का दायित्व

हमारा उद्देश्य प्राप्त मत सहित लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना और इस बात की ठोस आश्वस्ति पाना है कि एकल वित्तीय विवरण किसी भी प्रकार की गलत बयानी से मुक्त हो, चाहे यह किसी धोखाधड़ी के कारण हुआ हो या किसी भूल के कारण। तर्कसम्मत आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन ये इस बात की गारंटी नहीं है किमानक लेखा परीक्षण के अनुरूप किया गया लेखा परीक्षण हमेशा भौतिक गलत बयानी कापता लगा लेगा। इस प्रकार की गलत बयानी, धोखाधड़ी या किसी भूल के कारण हो सकती है। लेकिन, इन्हें असर डालने वाला तभी माना जाएगा, जब एकल या सामूहिक रूप से इनसे उपयोगकर्ताओं के आर्थिक फैसलों पर असर पड़ने की आशंका हो।

मानक लेखांकन के अनुरूप लेखा परीक्षण में हमने पेशेगत निर्णय लिए हैं और पूरे परीक्षण के दौरान कड़ी निगरानी बनाए रखी है। हमने ये कदम भी उठाए हैं :

- एकल वित्तीय विवरणों के असर डालने वाले गलत बयानों को पहचानने और उनके आकलन का प्रयास किया है। चाहे ये धोखाधड़ी के कारण हुए हों या भूल के कारण। इन जोखिमों से निपटने वाली लेखा परीक्षण प्रक्रिया तय की है और उसे अपनाया है तथा हमारे मत का समुचित आधार उपलब्ध कराने वाले लेखा परीक्षण साक्ष्य हासिल किए हैं। धोखाधड़ी के कारण गलत बयानी का पता न चल पाने का जोखिम भूल के कारण हुई गलत बयानी के जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी के पीछे साठगांठ, जालसाज़ी, जानबूझ कर की गई त्रुटि, गलत प्रस्तुति या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन कारण हो सकते हैं।
- परिस्थितियों के उपयोग से लेखा परीक्षण प्रक्रिया तय करने के उद्देश्य से लेखा परीक्षण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की जानकारी हासिल करना। अधिनियम के अनुच्छेद 143(3)(i) के तहत हम यह स्पष्ट करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि क्या कम्पनी के पास अपनी पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और यदि हां, तो इसकी संचालन प्रभावकारिताक्या है।
- प्रयुक्त लेखा परीक्षण नीतियों की उपयुक्तता के आकलन, और लेखा परीक्षण अनुमानों की तर्कसंगतता और प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित स्पष्टीकरण के मूल्यांकन के लिए भी कदम उठाए गए हैं।
- लेखा परीक्षण के लिए प्रबंधन द्वारा आधारों के उपयोग की उपयुक्तता तथा प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्यों के आधार पर कम्पनी के जारी रहने की क्षमता पर संदेह खड़ा करने वाली अनिश्चितता के बारे में निष्कर्ष निकालना। यदि हम पाते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें लेखा परीक्षक रिपोर्ट में वित्तीय विवरण के संबंधित अंश की ओर अथवा यदि ऐसे खुलासे हमारा मत बदलने में अपर्याप्त हैं, तो इस ओर भी ध्यान दिलाना होगा। हमारे निष्कर्ष लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तक प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। हालांकि भविष्य की घटनाएं या परिस्थितियां कम्पनी को जारी रखे जाने से रोक सकती हैं।
- स्पष्टीकरण सहित एकल वित्तीय विवरण की समग्र प्रस्तुति, रूपरेखा और विषयवस्तु का मूल्यांकन और इस बात का भी आकलन करना कि वित्तीय विवरण निष्पक्ष प्रस्तुति के लिएलेनदेन और अन्य मामलों का प्रतिनिधित्व करते हैं या नहीं।

हम लेखा परीक्षण के नियोजित दायरे और समय तथा परीक्षण के दौरान सामने आई आंतरिक नियंत्रण सबंधी बड़ी खामी सहित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षण निष्कर्षों के बारे में उन लोगों से सम्पर्क करते हैं, जिन्हें इस संबंध में प्रशासन का जिम्मा दिया गया था।

हम प्रशासन सेसंबंधित लोगों को एक विवरणी भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने संबंधित नीतिगत आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और हमारी स्वतंत्रता पर असर डालने वाले अन्य संबंधों और मामलों तथा सुरक्षा उपायों से उन्हें अवगत करा दिया है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. केंद्र सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा 11 के तहत जारी कम्पनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट आदेश, 2016 की अपेक्षा अनुसार हमने आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में दर्शाए मामलों के बारे में अनुलग्नक-1 में विवरणी दी है।
2. अधिनियम की धारा 143(5) के अनुरूप हम कम्पनी के उस रिकॉर्ड के अनुसार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसे हमने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और उप-निर्देशों पर अनुलग्नक-2 मेंहमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर उचित पाया है।
3. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षा अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि -

क) हमने वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार लेखा परीक्षण के लिए जरूरी थे।

ख) हमारे मत में कानून द्वारा अपेक्षित पर्याप्त लेखा परीक्षण पुस्तकें कम्पनी के पास हैं, जैसा कि इन पुस्तकों के हमारे परीक्षण से प्रतीत होता है।

ग) रिपोर्ट में तुलनपत्रक, लाभ हानि विवरण, शेयर और नकदी प्रवाह में परिवर्तन विवरणी संबंधी मामले लेखा पुस्तकों में उपलब्ध कराए गए समाधान के अनुरूप हैं।

घ) हमारे मत में एकल वित्तीय विवरणी पर हमारी टिप्पणी तर्कसंगत है, क्योंकि ऊपर दिए गए पैराग्राफ-1 में जिन बातों पर जोर दिया गया है, वे अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट,कम्पनी लेखा परीक्षण नियम 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाए, लेखा परीक्षण मानकों के अनुपालन में हैं, केवल मानक 10 को छोड़ कर।

ङ) एक सरकारी कम्पनी होने के नाते भारत सरकार की ओर से पांच जून 2015 को जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुरूप, निदेशक की अयोग्यता के बारे में अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

च) कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की संचालन प्रभावकारिता के संदर्भ में अनुलग्नक-3 में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें।

छ) सरकारी कम्पनी होने के नाते भारत सरकार द्वारा पांच जून 2015 को जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुरूप प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संदर्भ में अधिनियम की धारा 197(16) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

ज) कम्पनी लेखा परीक्षण और लेखा परीक्षक नियम 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक रिपोर्ट में शामिल की जाने वाली अन्य बातें हमारे मत में, हमारी सर्वोतम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार इस प्रकार हैं-

i. कम्पनी का कोई भी कानूनी मामला लम्बित नहीं है, जो इसकी वित्तीय स्थिति पर असर डाल सके।

ii. कम्पनी के पास डेरिव्हेटिव्स और अनुबंध सहित लम्बी अवधि का कोई भी अनुबंध नहीं है, जिसके लिए किसी भौतिक हानि की आशंका हो।

iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी, जिसे कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षा कोष में अंतरित किया जाना अपेक्षित था।

कृते
एमएस शेखों एंड कम्पनी
सनदी लेखाकार फर्म
पंजीकरण संख्या 003671एन

राजीव टंडन
(साझेदार)
सदस्यता संख्या 087343

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक - 20.05.2019

बिहार इंफ्रापॉवर लिमिटेड के स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक-I

अनुलग्नक बिहार इंफ्रापॉवर लिमिटेड (कम्पनी) के सदस्यों को प्रस्तुत 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में।

हम रिपोर्ट करते हैं किः-

1. कम्पनी के पास जारी पूंजीगत कार्य के सिवाए अन्य कोई स्थाई परिसम्पत्तियां नहीं हैं। इसीलिए आदेश के पैराग्राफ-3 की धारा(i) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते।
2. कम्पनी के पास कोई स्टॉक नहीं है। इसीलिए आदेश के पैराग्राफ 3 की धारा (ii) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते।
3. कंपनी नेकंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189के तहत आने वाली कम्पनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों को कोई ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित नहीं दिया है।
4. हमारे मत में और हमें उपलब्ध कराई गई सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने अपने किसी निदेशक की ओर से, जैसा कि अधिनियम की धारा 185 के तहत उल्लिखित है, कोई ऋण गारंटी और सिक्योरिटी नहीं दी है।कम्पनी ने दिए गए ऋणों के संदर्भ में अधिनियम की धारा 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।
5. कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांचके आधार पर और हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय में कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधानों या धारा 73 से 76 के प्रावधानों और संबंधित नियमों के तहत आम लोगों से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।
6. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी की किसी भी गतिविधि के लिएकेंद्र सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के तहत रिकॉर्ड की रख-रखाव लागत निर्दिष्ट नहीं किया गया है।
7. (क) कंपनी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, वस्तु और सेवा कर तथा सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर और उस पर लागू कोई अन्य सांविधिक बकाया समुचित प्राधिकरणों को नियमित जमा करती रही है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2019 को भुगतान योग्य होने की तिथि से 6 माह से अधिक की अवधि का कोई अविवादित सांविधिक बकाया नहीं है।

   (ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2019 को बकाया आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, वस्तु और सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और मूल्य संवर्धित कर के मद में भुगतान योग्य कोई भी विवादित सांविधिक बकाया नहीं है।

8.हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी वित्तीय संस्था याबैंक, या डिबेंचर धारकों से कोई ऋण नहीं लिया है। इसलिए आदेश के पैराग्राफ 3 की धारा (viii)कम्पनी पर लागू नहीं होती।

9. कम्पनी ने शुरुआती पब्लिक आफर या अगले पब्लिक आफर (ऋण सहित) और सावधि ऋण के जरिए धन नहीं जुटाया है। इसलिए आदेश के पैराग्राफ 3 की धारा (ix)के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते।

10. लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर लेखा परीक्षण वर्ष के दौरानकंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कम्पनी के किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा धोखाधड़ी का कोई मामला सामने नहीं आया या इसकी सूचना या रिपोर्ट नहीं मिली।

11. सरकारी कंपनी होने के नाते, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 05.06.2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुसार अधिनियम की धारा 197 के प्रबंधकीय पारिश्रमिक संबंधी प्रावधान, अनुसूचीvके साथ पढ़ा जाए, कंपनी पर लागू नहीं होते।

12. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। इसलिए चूक के बारे में आदेश के पैराग्राफ 3 की धारा (xii) कंपनी पर लागू नहीं होती।

13. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर कम्पनी ने संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन, अपने सामान्य कारोबारी क्रम में दर्ज किया है। इसीलिए अधिनियम की धारा 177 और 188 के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते। हालांकि इस प्रकार के लेनदेन का ब्यौरा व्यवहार्य लेखांकन मानकों की अपेक्षा अनुसार वित्तीय विवरण में स्पष्ट किया गया है।

14. कम्पनी के रिकार्ड के अनुसार कम्पनी ने वर्ष के दौरान कोई अधिमानी आवंटन या शेयरों अथवा आंशिक या पूर्ण परिवर्तनीय डिबेंचरों का निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। इसीलिए आदेश के पैराग्राफ 3 की धारा (xiv) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते।

15. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर कम्पनी ने निदेशकों या उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई गैर-रोकड़ लेनदेन नहीं किया है। इसीलिए आदेश के पैराग्राफ 3 की धारा (xv) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते।

16. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1ए के अंतर्गत पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।

कृते एम एच शेखों एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या -003671 एन

राजीव टंडन
(साझीदार)
सदस्यता संख्या 087343

स्थान - नई दिल्ली
तिथि - 20.05.2019

बिहार इंफ्रापॉवर लिमिटेड की स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक- II

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बिहार इन्फ्रापॉवर लिमिटेड (कम्पनी) के सदस्यों को प्रस्तुत हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में अनुलग्नक

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षक को जारी निर्देशों का प्रत्युत्तर

क्रम सं	विवरण	उत्तर
1	क्या कम्पनी के पास सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के जरिए सभी लेनदेन कीलेखांकन प्रक्रिया की उपयुक्त प्रणाली है? यदि हां, तो लेखे के साथ साथ वित्तीय पक्षों की प्रामाणिकता पर सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली से अलग लेनदेन लेखांकन प्रक्रिया का प्रभाव, यदि कोई है, तो उल्लेख किया जा सकता है।	हां, कम्पनी के पास सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के जरिए सभी लेनदेन लेखांकन को प्रक्रिया में लाने के लिए की प्रणाली है, जैसे, ओरेकल। हमारी राय में और हमें दी गई सर्वोत्तम जानकारी और स्पष्टीकरण अनुसार कम्पनी के पास ओरेकल में पोस्ट की गई प्रविष्टियों की सत्यता की जांच के लिए पर्याप्त नियंत्रण प्रणाली है।
2	क्या कम्पनी द्वारा किसी ऋणदाता की बकाया राशि चुकाने में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋण का पुनर्गठनकिया गया है या छूट/माफी/ब्याज माफी दी गई है? यदि हां, तो इसके वित्तीय प्रभाव का उल्लेख करें।	ऋण माफी/छूट या ब्याज में माफी/छूट का कोई मामला नहीं है। इसीलिए यह खंड लागू नहीं होता।

3	क्या केंद्र/राज्य की एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त या प्राप्त होने वाली निधि का, इसकी शर्तों और नियमों के अनुसार समुचित लेखांकन/उपयोग किया गया? यदि नहीं, तो ऐसे मामलों का उल्लेख करें।	केंद्र/राज्य की एजेंसियों से विशेष योजनाओं के लिए कोई भी निधि प्राप्त नहीं की गई है/न प्राप्त की जाने वाली है। इसलिए ये खंड व्यवहार्य नहीं है।

कृते एम एच शेखों एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या -003671 एन

राजीव टंडन
(साझीदार)
सदस्यता संख्या 087343

स्थान - नई दिल्ली
तिथि - 20.05.2019

बिहार इंफ्रापॉवर लिमिटेड की स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक- III

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बिहार इन्फ्रापॉवर लिमिटेड (कम्पनी) के सदस्यों को प्रस्तुत हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में अनुलग्नक

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिएबिहार इन्फ्रापॉवर पॉवर लिमिटेड (''कंपनी'') केएकल वित्तीयविवरणों के साथ कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में प्रबंधन का दायित्व:

कंपनी का प्रबंधन वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के बारे में इंस्टिट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ इंडिया ('आईसीएआई') द्वारा जारी 'गाइडेंस नोट' के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना और उन्हें बनाए रखने के प्रति जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में ऐसे समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रूपरेखा तय करना, उनका कार्यान्वयन और रख-रखाव शामिल है, जो इसके व्यवसाय के सुचारू और सक्षम संचालन सुनिश्चित करने के लिए लागू किए जा सकें। इनमें कंपनी की नीतियों का अनुसरण, उसकी परिसम्पत्तियों का संरक्षण, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय जानकारी समय पर तैयार करना भी शामिल है।

लेखा परीक्षक का दायित्व

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में राय जाहिर करना है। हमने अपनी लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा 'वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों' की लेखा परीक्षा के बारे में जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों' की लेखा परीक्षा के लिए व्यवहार्य सीमा तक निर्धारित समझे गए, 'परामर्श टिप्पणी' ("गाइडेंस नोट") और लेखांकन मानकों के अनुसार की है।ये दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों' की लेखा परीक्षा पर लागू होते हैं और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई')द्वारा जारी किए गए हैं। ये मानक और गाइडेंस नोट यह अपेक्षा करते हैं कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और लेखापरीक्षण योजना इस तरह बनाएं और इस तरह लेखापरीक्षण करें जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन मिले कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कायम किए गए और बनाए रखे गए तथा सभी महत्वपूर्ण मामलों में संचालित किए गए।

हमारी लेखा-परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और उसकी प्रचालनगत सक्षमता के बारे में लेखापरीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की हमारी लेखा परीक्षा के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी खामी के जोखिम का आकलन करना, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा और उसकी प्रचालनगत क्षमता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित होती हैं, जिनमें वित्तीय विवरणों के बारे में गलत बयानी, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुई हो, के जोखिम का आकलन शामिल होता है।

हमारा विश्वास है कि हमें जो लेखा परीक्षा संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के बारे में हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ:

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने और आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए तय की जाती है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो (1) ऐसे रिकॉर्ड रखने से संबंधित हों, जो कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और उनकी स्थिति को युक्तिसंगत,

सही-सही और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हों; (2) इस आशय का युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करती हों कि उनके लेनदेन का रिकॉर्ड आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति के लिए आवश्यक रूप से रखा गया है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय कम्पनी प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कम्पनी की परिसंपत्तियों के ऐसे अनधिकृत अर्जन, इस्तेमाल या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त किया जा सके, जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने वाला हो।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

आंतरिक नियंत्रणों के विफल होने या अनुचित प्रबंधन और उल्लंघन होने की आशंका सहित, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं होती हैं, जिनसे त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण ऐसी महत्वपूर्ण गलत बयानी हो सकती है, जिसका पता न चल पाए। इसके अतिरिक्त भावी अवधियों से संबंधित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन के निष्कर्ष इस जोखिम के अधीन होते हैं कि स्थितियों में परिवर्तन, अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन में कमी के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं।

हमारी राय:

हमारी राय में कम्पनी ने, सभी महत्वपूर्ण विषयों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखे हैं और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक नियंत्रण 31 मार्च, 2017 तक कारगर ढंग से लागू थे, जो इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के बारे में जारी गाइडेंस नोट में वर्णित थे।

कृते एम एच शेखों एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या -003671 एन

राजीव टंडन
(साझीदार)
सदस्यता संख्या 087343

स्थान - नई दिल्ली
तिथि - 20.05.2019

बिहार इन्फ्रा पावर लिमिटेड

(सीआईएन:यू93000डीएल2015जीओआई282192)

31 मार्च 2019 कातुलनपत्रक

(₹ in Hundreds)

	ब्यौरा	Note No.	As at March 31, 2019	As at March 31, 2018	As at April 01, 2017
(I)	**परिसम्पत्तियां**				
(1)	**गैर-चालू परिसम्पत्तियां**				
	(क) जारी पूंजीगत कार्य	4	4,763.39	3,484.01	1,778.81
	(ख) वित्तीय परिसम्पत्तियां				
	(i) ऋण	5	1,836.66	-	-
			6,600.05	3,484.01	1,778.81
(2)	**चालू परिसम्पत्तियां**				
	(क)वित्तीय परिसम्पत्तियां				
	(i) नकदी और नकदी तुल्य	6	491.74	8,000.00	5,000.00
	कुल परिसम्पत्तियां		**7,091.79**	**11,484.01**	**6,778.81**
	शेयर और देनदारियां				
(1)	**इक्विटी**				
	(क)शेयर हिस्सेदारीपूंजी	7	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	(ख) अन्य इक्विटी	8	(341.80)	(341.80)	(341.80)
	कुल इक्विटी		4,658.20	4,658.20	4,658.20
(2)	**देनदारियां**				
(क)	**गैर चालू देनदारियां**				
	(क) वित्तीय देनदारियां				
	(i) उधार	9	988.97	3,243.31	1,833.11
(क)	**मौजूदा देनदारियां**				
	(क) वित्तीय देनदारियां				
	(i) अन्य वित्तीय देनदारियां	10	1,444.62	3,582.50	287.50
	कुल देनदारियां		2,433.59	6,825.81	2,120.61
	कुल इक्विटी और देनदारियां		**7,091.79**	**11,484.01**	**6,778.81**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां 1-3

वित्तीय ब्यौरे केसाथ लगी टिप्पणियां भी देखें 1-28

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

(पीसीहेम्ब्रम) **(शैली वर्मा)** **(योगेश जुनेजा)**
निदेशकनिदेशकअध्यक्ष
DIN:02750881 **DIN:07935630** **DIN:02913155**

सम तिथि की रिपोर्ट के अनुरूप
कृते
एम एस सेखों एंड कम्पनी
(सनदी लेखाकार)
(कम्पनी पंजीकरण संख्या. : 003671N)

राजीव टंडन
(साझेदार)
सदस्यता संख्या. : 087343
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20.05.2019

बिहार इन्फ्रा पावर लिमिटेड

(सीआईएन:यू93000डीएल2015जीओआई282192)

31 मार्च 2019 कोसमाप्त हुए वर्ष के लिए हानि लाभ ब्यौरा

(₹ सौ में)

विवरण	**टिप्पणी संख्या**	**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए**
संचालनआय		-	-
अन्य आय		-	-
कुल आय (I)		**-**	**-**
व्यय:			
अन्यव्यय		-	-
कुलव्यय (II)		**-**	**-**
कर पूर्व आय (I- II =III)		**-**	**-**
कर व्यय: (IV)			
चालूकर		-	-
बकायाकर		-	-
अवधि के दौरान लाभ (III - IV = V)		**-**	**-**
अन्यव्यापक आय (VI)		-	-
अवधि केलिए कुल व्यापक आय (V + VI =VII)		**-**	**-**
प्रति इक्विटी हिस्सेदारी आय : (VIII)			
प्राथमिकऔर विरल रुपये में (प्रति शेयर 10 रुपये)	12	-	-

महत्वपूर्ण लेखानीतियां	1-3
वित्तीय ब्यौरे केसाथ लगी टिप्पणियां भी देखें	1-28

कृते एवं निदेशकमंडल की ओर से

(पीसी हेम्ब्रम) **(शैली वर्मा)** **(योगेश जुनेजा)**

निदेशकनिदेशकअध्यक्ष

DIN:02750881 **DIN:07935630** **DIN:02913155**

सम तिथि कीरिपोर्ट के अनुरूप

कृते

एम एस सेखों एंडकम्पनी

(सनदी लेखाकार)

(कम्पनी पंजीकरणसं . : 003671N)

राजीव टंडन
(साझेदार)
सदस्यता सं. : 087343
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20.05.2019

बिहार इन्फ्रा पावर लिमिटेड

(सीआईएन:यू93000डीएल2015जीओआई282192)

31 मार्च, 2019 कोसमाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(₹ रुपये सौ में)

	विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
क.	**प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह:**		
	कर पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)	-	-
	कार्य पूंजी बदलाव से पहले संचालनलाभ/(हानि)	**-**	**-**
	कार्यपूंजी में बदलाव के लिए समायोजन :		
	-अन्य चालू वितीयदेनदारियों में बढ़ोतरी/(कमी)	(2,137.88)	3,295.00
	संचालन गतिविधियों से सृजित नकदी	**(2,137.88)**	**3,295.00**
	भुगतान किया गया आयकर	-	-
	संचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	**(2,137.88)**	**3,295.00**
ख.	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह:**		
	जारी पूंजीगत कार्यों में वृद्धि	(1,279.38)	(1,705.20)
	अन्य चालू वितीय परिसम्पत्तियोंवृद्धि/ (कमी)	(1,836.66)	-
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	**(3,116.04)**	**(1,705.20)**
ग.	**संचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह:**		
	उधारियों से प्राप्ति	414.90	1,410.20
	उधारियों का भुगतान	(2,669.24)	-
	वितीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	**(2,254.34)**	**1,410.20**
	नकदी और नकदी तुल्य में शुद्ध(कमी)	**(7,508.26)**	**3,000.00**
	आरंभिक नकदी और नकदी तुल्य	8,000.00	5,000.00
	समापन नकदी और नकदी तुल्य (टिप्पणी-7)	**491.74**	**8,000.00**
	शामिल:		
	बैंकों में चालू खाता शेष	491.74	8,000.00

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

(पी सी हेम्ब्रम) **(शैलीवर्मा)** **(योगेश जुनेजा)**

निदेशकनिदेशकअध्यक्ष

DIN:02750881 **DIN:07935630** **DIN:02913155**

सम तिथि की रिपोर्ट के अनुरूप

कृते
एमएस सेखों एंड कम्पनी
(सनदी लेखाकार)
(कम्पनी पंजीकरण संख्या. : 003671N)

राजीव टंडन
(साझेदार)
सदस्यता सं. : 087343
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20.05.2019

बिहार इन्फ्रा पावर लिमिटेड
(सीआईएन:यू93000डीएल2015जीओआई282192)
31 मार्च को समाप्तहुए वर्ष के लिए इक्विटी बदलाव संबंधी विवरण

क. इक्विटी शेयरपूंजी

(₹ सौ में)

विवरण	**राशि**
01 अप्रैल 2017 कोशेष	5,000.00
वर्ष के दौरानइक्विटी हिस्सेदारी पूंजी में बदलाव	-
31 मार्च 2018 कोशेष	5,000.00
वर्ष के दौरानइक्विटी हिस्सेदारी पूंजी में बदलाव	-
31 मार्च, 2019 कोशेष	5,000.00

ख. अन्य इक्विटी

FALSE

विवरण	**राशि**
<u>पुनः संचित आय</u>	
01 अप्रैल 2017 को शेष	(341.80)
वित्त वर्ष 2017-18 के लिए कुल विस्तृत आय	-
31 मार्च, 2018 को शेष	(341.80)
वित्त वर्ष 2018-19 के लिए कुल विस्तृत आय	-
31 मार्च, 2019 को शेष	(341.80)

कृते एवं निदेशक मंडलकी ओर से

(पी सी हेम्ब्रम) **(शैलीवर्मा)** **(योगेश जुनेजा)**
निदेशकनिदेशकअध्यक्ष
DIN:02750881 **DIN:07935630** **DIN:02913155**

सम तिथि कीरिपोर्ट के अनुरूप
कृते
एमएस सेखों एंडकम्पनी

(सनदी लेखाकार)
(कम्पनी पंजीकरणसंख्या. : 003671N)

राजीव टंडन
(साझेदार)
सदस्यता सं. : 087343
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20.05.2019

बिहार इन्फ्रा पावर लिमिटेड

(सीआईएन:यू93000डीएल2015जीओआई282192)

31 मार्च को समाप्त हुए वर्ष के लिए इक्विटी बदलाव संबंधी विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ सौ में)

विवरण	**राशि**
01 अप्रैल 2017 को शेष	5,000.00
वर्ष के दौरान इक्विटी हिस्सेदारी पूंजी में बदलाव	-
31 मार्च 2018 को शेष	5,000.00
वर्ष के दौरान इक्विटी हिस्सेदारी पूंजी में बदलाव	-
31 मार्च, 2019 को शेष	5,000.00

ख. अन्य इक्विटी

FALSE

विवरण	**राशि**
<u>पुनः संचित आय</u>	
01 अप्रैल 2017 को शेष	(341.80)
वित्त वर्ष 2017-18 के लिए कुल विस्तृत आय	-
31 मार्च, 2018 को शेष	(341.80)
वित्त वर्ष 2018-19 के लिए कुल विस्तृत आय	-
31 मार्च, 2019 को शेष	(341.80)

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(पी सी हेम्ब्रम) **(शैली वर्मा)** **(योगेश जुनेजा)**

निदेशक **निदेशक** **अध्यक्ष**

DIN:02750881 **DIN:07935630** **DIN:02913155**

सम तिथि की रिपोर्ट के अनुरूप

कृते

एमएस सेखों एंड कम्पनी

(सनदी लेखाकार)
(कम्पनी पंजीकरण संख्या. : 003671N)

राजीव टंडन
(साझेदार)
सदस्यता सं. : 087343
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20.05.2019

बिहार इन्फ्रा पावर लिमिटेड

(सीआईएन:यू93000डीएल2015जीओआई282192)

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण टिप्पणियां

1 कार्पोरेट जानकारी

यह कम्पनी, कम्पनी अधिनियम 2013 के तहत 30 जून, 2015 को भारत सरकार के उद्यम पॉवर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसीएल) की पूर्ण स्वामित्तव वाली अनुषंगी कम्पनी के रूप में शुरू की गई। कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय पहली मंजिल, ऊर्जा निधि, 1, बाराखम्बा लेन, कनाटप्लेस, नई दिल्ली 110001 पर स्थित है। यह कम्पनी कोयला खंड लाइसेंस, कोयला खंड भूमि, बिजली संयंत्र भूमि तथा बिजली प्रणाली और एकीकृत ईंधन प्रणाली के निर्माण, संचालन और रख रखाव गलियारे के लिए भूमि अर्जित करने तथा बिहार में अत्याधुनिक मेगा पावर प्रोजेक्ट की भूमि, कोयला खंड इत्यादि के पट्टा लाइसेंस की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने हेतु विशेष उद्देश्यीय माध्यम (स्पेशल पर्पज व्हीकल) है।

2 सामान्य

(क) तैयारी का आधार और अनुपालन विवरण

ये वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत और लेखांकन के संग्रहण आधार पर तैयार किए गए हैं तेथा कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015 (संशोधित) के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) और कम्पनी अधिनियम 2013 के व्यवहार्य प्रावधानों के अनुपालन में हैं। ये कम्पनी के पहले इंड एएस वित्तीय विवरण हैं। इंड एएस में परिवर्तन की तिथि अप्रैल 1 2017 है।

कम्पनी के वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (आईएनआर) में हैं, जो इसकी प्रचालन मुद्रा है।

कम्पनी द्वारा प्राप्त पहली बार अनुपालन छूट का ब्यौरा टिप्पणी संख्या 25 में दिया गया है।

वित्तीय विवरण में दी गई राशि (जब तक अन्यथा निर्देश न हो) 2 दशमलव अंक तक निकटतम सैकड़ा राशि में दी गई है।

(ख) आकलनों का उपयोग

वित्तीय विवरण की तैयारी के लिए आय, व्यय, परिसम्पत्ति और देनदारी तथा वित्तीय विवरण की तारीख पर अन्य देनदारियों से संबंधित स्पष्टीकरण को प्रभावित करने वाले, आकलन और अनुमानों के प्रबंधन की आवश्यकता होती है। वास्तविक परिणाम आकलन से अलग हो सकते हैं। आकलनों और अनुमानों की समीक्षा नियमित रूप से की जाती है। जिस अवधि में आकलनों में संशोधन होता है और आगे की किसी अवधि में असर पड़ने की संभावना होती है, तो लेखांकन आकलन में संशोधन किया जाता है।

3 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

(क) आय/व्यय का निर्धारण

आय और व्यय का लेखांकन संगणन आधार पर किया गया है।

(ख) उधारी लागत

अधिग्रहण, अचल परिसम्पत्तियों के निर्माण को, जो अपने निर्धारित उपयोग के लिए तैयार होने में काफी समय लेती हैं, इन परिसम्पत्तियों की लागत के रूप में रखा जाता है, उस सीमा तक जब तक ये उपयोग में आने के लिए तैयार नहीं हो जातीं। अन्य उधारी लागत उस वर्ष के हानि लाभ विवरण में डाली जाती हैं, जिनमें वे ली गई हैं।

(ग) जारी पूंजीगत कार्य

भूमि अधिग्रहण/सर्वेक्षण/अध्ययन/जांच/परामर्श/प्रशासनिक/क्षति/ब्याज आदि पर होने वाला व्यय तथा निर्माण अवधि के दौरान अन्य व्यय जारी पूंजीगत कार्य में आते हैं।

(घ) अवधि पूर्व व्यय

महत्वपूर्ण अवधि पूर्व त्रुटियों को त्रुटि होने वाली अवधि में दी गई तुलनात्मक राशि उसी अवधि से जोड़ कर संशोधित किया जाता है। यदि यह त्रुटि प्रस्तुत की गई सर्वाधिक पूर्व अवधि से भी पहले की है, तो परिसम्पत्तियों का आरंभिक शेष, देनदारियां और प्रस्तुत की गई सबसे पहले की अवधि के लिए देनदारियां और इक्विटी फिर से बहाल कर ली जाती हैं।

**(ङ)	नकदी और नकदी समतुल्य**

नकदी में उपलब्ध राशि और जमा राशि शामिल है। कम्पनी लघु अवधि के सभी अधिशेष (अधिग्रहण से तीन महीने या कम की परिपक्वता अवधि के), अत्यधिक तरलता वाले निवेश, जो नकद राशि में तुरंत बदलने योग्य हों और जिनके लिए मूल्य में परिवर्तन का जोखिम महत्वहीन हो, को नकदी समतुल्य मानती है।

**(च)	नकदी प्रवाह विवरण**

नकदी प्रवाह विवरण अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाता है, जिसमें कर पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि) गैर नकदी प्रवृत्ति के लेनदेन के प्रभाव और अतीत या वर्तमान की नकद प्राप्ति या भुगतान के संग्रहण या आस्थगित अदायगी के लिए समायोजित किया जाता है। कम्पनी के संचालन, निवेश और वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह अलग कर दिया जाता है।

**(छ)	कराधान**

आयकर व्यय में मौजूदा और आस्थगित कर भुगतान आता है। इसे लाभ और हानि विवरण में दर्शाया जाता है। केवल उस स्थिति को छोड़ कर, जब यह किसी ऐसी वस्तु से जुड़ा हो, जिसे इक्विटी में सीधे या अन्य नकदी प्रवाह में दिखाया गया हो। इस स्थिति में कर भी इक्विटी में सीधे या अन्य नकदी प्रवाह में दर्शाया जाएगा।

मौजूदा कर उस वर्ष के लिए करयोग्य आय पर अनुमानित कर भुगतान है, जिस पर तथा पिछले वर्ष के भुगतान योग्य कर के किसी समायोजन पर रिपोर्टिंग तिथि पर व्यवहार्य कर दरें या मूल रूप से लागू कर दरें प्रभावी होती हैं।

आस्थगित कर भुगतान का निर्धारण वित्तीय विवरण में परिसम्पत्तियों और देनदारियों की राशि तथा कर योग्य आय की गणना में प्रयुक्त संबंधित कर आधार के बीच के अस्थायी अंतर पर किया जाता है। आस्थगित कर भुगतान की गणना रिपोर्टिंग तिथि पर लागू कानूनों या मूल रूप से लागू कानून पर आधारित कर दरों से की जाती है। आस्थगित भुगतान कर परिसम्पत्तियां और देनदारियां समायोजन योग्य हैं, यदि मौजूदा कर देनदारियां और परिसम्पत्तियों को समायोजित करने का कानूनी प से बाध्यकारी अधिकार हो और वे उसी कर

प्राधिकरण द्‌वारा लगाए गए आयकर से संबंधित हों।

घटाने योग्य सभी अस्थाई अंतर के लिए आस्थगित कर भुगतान उस सीमा तक प्रभावी माना जाएगा, जहां तक कर योग्य लाभ प्राप्त होने की संभावना हो, जिसके लिए इस अंतर का उपयोग किया जा सके। आस्थगित कर भुगतान परिसम्पत्तियों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है और इसे उस सीमा तक कम किया जाता है, जिससे संबंधित कर लाभ का अनुमान न रहे।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में आस्थगित कर भुगतान परिसम्पत्तियों की राशि की समीक्षा की जाती है और इसे उस सीमा तक कम किया जाता है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ से परिसम्पत्तियों की रिकवरी की संभावना न रहे।

(ज) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और परिसम्पत्तियां

i. यदि कम्पनी की मौजूदा देयताएं (कानूनी या तर्कसंगत) किसी पिछले कारण से हो, और इस बात की संभावना हो कि कम्पनी को इस देनदारी का समाधान करना होगा और देनदारी की राशि का विश्वसनीय आकलन करना होगा, तो संबंधित प्रावधान लागू होंगे। प्रावधान के रूप में तय की गई राशि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में तमाम जोखिम और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए मौजूदा देनदारी के समाधान पर विचार के लिए सर्वोत्तम आकलन होगी। यदि किसी प्रावधान के समायोजन के लिए आवश्यक सभी या कुछ आर्थिक लाभ किसी तीसरी पार्टी से रिकवर किए जाने की आशा हो, तो प्राप्ति परिसम्पत्ति मानी जाएगी, यदि यह निश्चित हो कि प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी और इससे संबंधित राशि का आकलन विश्वसनीय तरीके से किया जाएगा।

ii. जहां इस बात की संभावना न हो कि आर्थिक लाभों का निर्गमन जरूरी होगा या संबंधित राशि का विश्वसनीय ढंग से आकलन नहीं हो सकेगा, तो यह देनदारी लेखांकन टिप्पणियों में तब तक आकस्मिक देनदारी मानी जाएगी, जब तक आर्थिक लाभों के निर्गमन की संभावना

समाप्त नहीं हो जाती।

iii. वित्तीय विवरणों में आकस्मिक परिसम्पत्तियों का ब्यौरा नहीं होता है। इसका स्पष्टीकरण तभी किया जाता है, जब आर्थिक लाभ के अंतरप्रवाह की संभावना हो।

iv. प्रत्येक तुलनपत्रक तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है और इन्हें मौजूदा प्रबंध आकलन को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

(झ) वित्तीय उपाय

वित्तीय परिसम्पत्तियां और वित्तीय देनदारियों की गणना तब होती है, जब कम्पनी वित्तीय प्रबंधों के अनुबंध प्रावधानों का एक पक्ष हो। आरंभ में वित्तीय परिसम्पत्तियों और वित्तीय देनदारियों की गणना इनके अधिग्रहण या इन्हें जारी करने से संबंधित समुचित मूल्य से लेनदेन लागत के जोड़/घटाव के अनुरूप की जाती है। यदि वित्तीय परिसम्पत्तियों और देनदारियों को लाभ और हानि के जरिए उचित मूल्य से आंका जाता है, तो इसे लाभ और हानि विवरण में लेनदेन की लागत माना जाएगा।

i.1 वित्तीय परिसम्पत्तियां

वित्तीय परिसम्पत्तियों की सभी सामान्य खरीद या बिक्री समायोजन तिथि के आधार पर मान्य और अमान्य होगी।

वित्तीय परिसम्पत्तियों के वर्गीकरण के आधार पर इन परिसम्पत्तियों का आकलन उनकी परिशोधन लागत या उचित मूल्य के आधार पर किया जाएगा।

i) **वित्तीय परिसम्पत्तियों का वर्गीकरण और मापन (इक्विटी को छोड़ कर)**

क) परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसम्पत्तियां :
निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाली वित्तीय परिसम्पत्तियों का मापन प्रभावी ब्याज दर विधि (ईआईआर) से परिशोधन लागत पर किया जाएगा:
• परिसम्पत्ति किसी ऐसे कारोबारी मॉडल के तहत हो, जिसका उद्देश्य अनुबंध के आधार पर नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिए परिसम्पत्तियां रखना हो; और
• परिसम्पत्ति की अनुबंधगत शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकद प्रवाह बढ़ाती हों, जो नकद प्रवाह

केवल बकाया मूल राशि पर मूल राशि तथा ब्याज (एसपीपी) भुगतान से आता हो।

ख) अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) से समुचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पत्तियां। वित्तीय परिसम्पत्ति का मापन एफवीटीओसीआई से निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है:

• व्यापार मॉडल का लक्ष्य अनुबंधगत नकदी प्रवाह और वित्तीय परिसम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त किया जाता हो; और

• परिसम्पत्ति की अनुबंधगत शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह बढ़ाती हों, जो मूल रूप से बकाया मूल राशि पर मूल राशि और ब्याज (एसपीपीआई) के भुगतान से आता हो।

ग) लाभ और हानि (एफवीटीपीएल) से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पत्तियां -- एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसम्पत्ति की गणना तभी होती है, जब इसे लाभ और हानि विवरण में दिए गए समुचित मूल्य सभी बदलावों के साथ परिशोधन मूल्य पर मापा जाए।

ii) **वित्तीय परिसम्पत्तियों की क्षति**

क) कम्पनी परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसम्पत्तियों पर अनुमानित जमा हानि (ईसीएल) का निर्धारण करती है। ऐसी वित्तीय परिसम्पत्तियों पर ईसीएल, ऋण परिसम्पत्तियों के अलावा कुल अवधि के दौरान, अनुमानित हानि के बराबर राशि पर मापा जाता है।

ईसीएल के मापन के लिए अनिवार्यताएं समान रूप से ऋण (एफबीटीओसीआई) परिसम्पत्ति पर लागू होती है, केवल उस स्थिति को छोड़ कर जब ईसीएल अन्य व्यापक आय में न जोड़ी जाए और तुलनपत्रक में शेष राशि से न घटाई जाए।

ख)ऋण परिसम्पत्तियों की क्षति और लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) के तहत प्रतिबद्धताएं : यदि ऋण क्षति हुई हो या आरंभिक अनुमान की तुलना में जोखिम (एसआईसीआर) में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है, तो कम्पनी ऋण परिसम्पत्तियों पर ईसीएल का मापन लाइफ टाइम ईसीएल के बराबर राशि पर करती है। यदि आरंभिक अनुमान की तुलना में कोई एसआईसीआर नहीं है, तो कम्पनी ईसीएल का मापन 12 महीने के ईसीएल के बराबर राशि पर करती है। आरंभिक आकलन के बाद से एसआईसीआर रहा है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए कम्पनी तर्कसंगत और सहयोगी सूचनाओं पर विचार करती है जो बिना किसी लागत या प्रयास के उपलब्ध है। यदि कम्पनी हानि का मापन पूर्व अवधि में लाइफटाइम ईसीएल के रूप में करती है, लेकिन बाद की अवधि में क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार के कारण निश्चित करती है कि आरंभिक अनुमान से कोई एसआईसीआर नहीं रहा है, तो कम्पनी फिर से 12 महीने के ईसीएल के आधार पर हानि भत्ते का मापन करती है। क्रेडिट क्षति वाली ऋण परिसम्पत्तियों के लिए ईसीएल का मापन व्यक्तिगत आधार पर होता है और अन्य ऋण परिसम्पत्तियों के लिए यह आमतौर पर सामूहिक आधार किया जाता है kfया जाता है। कतिया जाता तहै। ।।

ग)क्षति संबंधी नुकसान और उनकी बहाली लाभ हानि विवरण में दर्शायी गई है।

iii) **वित्तीय परिसम्पत्तियों को अमान्य करना**कम्पनी किसी वित्तीय परिसम्पत्ति को तब अमान्य करती है, जब परिसम्पत्ति से नकदी प्रवाह के अनुबंधगत अधिकार की अवधि समाप्त हो जाती है या जब कम्पनी किसी दूसरी पार्टी को वित्तीय परिसम्पत्ति, स्वामित्व और इससे संबंधित जोखिम हस्तांतरित कर देती है। वित्तीय परिसम्पत्ति को पूरी तरह समाप्त कर दिए जाने पर, परिसम्पत्ति की मौजूदा राशि तथा प्राप्त और प्राप्ति योग्य राशि का जोड़ जिसे अन्य व्यापक आय में दिखाए गया था और इक्विटी में जमा लाभ या हानि का अंतर लाभ हानि विवरण में दर्शाया गया है, यदि ऐसे लाभ या हानि को वित्तीय परिसम्पत्ति समाप्त किए जाने समय लाभ हानि विवरण में न दर्शाया गया हो।

i.2 वित्तीय देयताएं

i) डेरिव्हेटिव्स और वित्तीय गारंटी अनुबंधों के अलावा सभी वित्तीय देयताएं प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं। ईआईआर का निर्धारण वित्तीय देयता की आरंभिक पहचान पर किया जाता है। इसे संबंधित अनुबंध की शर्तों के अनुसार फ्लोटिंग ब्याज दर वाली वित्तीय परिसम्पत्तियों के लिए संबंधित पुनः निर्धारण तिथि पर अद्यतन किया जाता है।

ii)वित्तीय देयताओं को अमान्य करना

कम्पनी वित्तीय देयताओं को तभी और केवल तभी अमान्य करती है, जब कम्पनी के दायित्वों का निर्वहन हो जाता है, वे रद्द हो जाते हैं या उनकी अवधि समाप्त हो जाती है। अमान्य की गई वित्तीय देयताओं की राशि और भुगतान की गई तथा भुगतान किए जाने योग्य राशि का अंतर लाभ हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

(j) प्रति शेयर आय

प्रति शेयर प्राथमिक आय की गणना कर के बाद शुद्ध लाभ को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की औसत संख्या मूल्य से भाग देकर की जाती है। प्रति शेयर डायल्यूटिड आय की गणना टैक्स के बाद लाभ को प्रति शेयर प्राथमिक आय निकालने के लिए विचार किए गए इक्विटी शेयरों के औसत संख्या मूल्य और सभी संभावित शेयरों, जिन्हें जारी किया जा सकता था, के औसत संख्या मूल्य भाग देकर की जाती है।

बिहार इन्फ्रा पावर लिमिटेड

(सीआईएन:यू93000डीएल2015जीओआई282192)

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां

4.जारी पूंजीगत कार्य

(₹ सौ में)

विवरण	**31 मार्च 2019 को**	**31 मार्च 2018 को**	**01 अप्रैल 2017 को**
आरंभिक जारी पूंजीगत कार्य	3,484.01	1,778.81	1,778.81
जोड़ : निर्माण अवधि (नोट 11) के दौरान हुए व्यय से स्थानांतरित	1,279.38	1,705.20	-
	4,763.39	**3,484.01**	**1,778.81**

5. ऋण (गैर मौजूदा)

(₹ सौ में)

विवरण	**मार्च 31, 2019 को**	**31, 2018 को**	**अप्रैल 01, 2017 को**
<u>असुरक्षित, अच्छा माना गए ऋण (परिशोधित लागत पर)</u>			
संबंधित पक्ष को अग्रिम	1,830.75	-	-
प्रोदभूत ब्याज लेकिन संबंधित पक्ष से बकाया नहीं (पॉवर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड)	5.91		
	1,836.66	**-**	**-**

6.नकदी और नकदी समतुल्य

(₹ सौ में)

विवरण	**मार्च 31, 2019 को**	**मार्च 31, 2018 को**	**मार्च 31, 2017 को**
बैंक शेष :			
चालू खाते में	491.74	8,000.00	5,000.00
	491.74	**8,000.00**	**5,000.00**

बिहार इन्फ्रा पावर लिमिटेड

(सीआईएन:यू93000डीएल2015जीओआई282192)

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां

7 इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ in Hundreds)

विवरण	**31 मार्च 2019 को**	**31 मार्च 2018 को**	**01 अप्रैल 2017 को**
अधिकृत शेयर पूंजी			
50,000 इक्विटी शेयर, प्रत्येक 10 रुपये का (31 मार्च, 2018 को : 50,000; पहली अप्रैल, 2017 : 50,000) पूरी तरह भुगतान किया गया		5,000.00	5,000.00
जारी, सब्स्क्राइब्ड और अदा पूंजी में शामिल:			
50,000 इक्विटी शेयर, प्रत्येक 10 रुपये का (31 मार्च, 2018 को : 50,000; पहली अप्रैल, 2017 : 50,000) पूरी तरह भुगतान किया गया	5,000.00	5,000.00	5,000.00

5,000.00	**5,000.00**	**5,000.00**	

(i) वर्ष के आरंभ और अंत में बकाया शेयरों की संख्या का मिलान:

विवरण	**31 मार्च 2019 को**		**31 मार्च 2018 को**	
	धारित शेयरों की संख्या	**राशि**	**धारित शेयरों की संख्या**	**राशि**
वर्ष के आरंभ में बकाया शेयर	50,000	5,000.00	50,000	5,000.00
वर्ष के दौरान जारी शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	50,000	5,000.00	50,000	5,000.00

(ii) इक्विटी शेयरों से जुड़े अधिकार, प्राथमिकताएं और पाबंदियां:

कम्पनी के पास 10 रुपये प्रति शेयर मूल्य के इक्विटी शेयर हैं। प्रत्येक शेयरधारक प्रति शेयर एक वोट के लिए पात्र है। निर्देशक मंडल से प्रस्तावित लाभांश वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन पर आधारित है, केवल अंतरिम लाभांश के मामले को छोड़ कर। तरलता यानी नकदी प्रवाह बढ़ने की स्थिति में शेयर होल्डर सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद अपनी शेयरधारिता के अनुपात में कम्पनी की शेष परिसम्पत्तियां प्राप्त करने के पात्र होंगे।

(iii) होल्डिंग कम्पनी के पास इक्विटी शेयरों का ब्यौरा :

विवरण	**शेयरों की संख्या**	**राशि**
31 मार्च 2019 को		
पॉवर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड*	50,000	5,000.00
31 मार्च 2018 को		
पॉवर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड*	50,000	5,000.00
01 अप्रैल 2017 को		
पॉवर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड*	50,000	5,000.00

(iv) कम्पनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरहोल्डर के शेयरों का ब्यौरा :

विवरण	**31 मार्च 2019 को**		**31 मार्च 2018 को**		**01 अप्रैल 2017 को**	
	धारित शेयरों की संख्या	**%**	**धारित शेयरों की संख्या**	**%**	**धारित शेयरों की संख्या**	**%**
पूरी तरह भुगतान किए गए						

इक्विटी शेयर

होल्डिंग कम्पनी, पॉवर फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड*	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%

* इक्विटी शेयर पॉवर फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड और इसके नामितियों के पास हैं

बिहार इन्फ्रा पावर लिमिटेड

(सीआईएन:यू93000डीएल2015जीओआई282192)

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां

8. अन्य इक्विटी

(₹ in Hundreds)

विवरण	**31 मार्च 2019 को**	**31 मार्च 2018 को**	**01 अप्रैल 2017 को**
<u>प्रतिधारित आय</u>			
वर्ष के आरंभ में शेष	(341.80)	(341.80)	(341.80)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**(341.80)**	**(341.80)**	**(341.80)**

9.उधारी (गैर मौजूदा)

विवरण	**31 मार्च 2019 को**	**31 मार्च 2018 को**	**01 अप्रैल 2017 को**
प्रतिशोधित लागत, असुरक्षित ऋण और संबंधित पक्षों से अग्रिम पर	-	2,669.24	1,569.99
प्रोदभूत ब्याज लेकिन संबंधित पक्षों से उधारी पर देय नहीं	988.97	574.07	263.12
	988.97	**3,243.31**	**1,833.11**

उधारी के लिए पुनः भुगतान शर्तें : सफल नीलामी कर्ता को कम्पनी के हस्तांतरण की तिथि से 15 दिन के अंदर पुनर्भुगतान योग्य

10. अन्य चालू वित्तीय देनदारियां

-

विवरण	**31 मार्च 2019 को**	**31 मार्च 2018 को**	**01 अप्रैल 2017 को**
परिशोधित लागत पर वित्तीय देनदारियां			

भुगतान योग्य व्यय	1,444.62	582.50	287.50
निदेशक के नामांकन के लिए जमा	-	3,000.00	-
	1,444.62	**3,582.50**	**287.50**

11. निर्माण अवधि के दौरान व्यय

-

विवरण	**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए**
लेखा परीक्षण शुल्क	295.00	295.00
प्रोफेशनल, कानूनी और परामर्शी शुल्क	278.17	769.09
प्रशासनिक व्यय	241.64	330.16
बैंक शुल्क	8.26	-
उप जोड़ (ए)	823.07	1,394.25
ब्याज व्यय	462.22	310.95
पीएफसी से कम ब्याज आय	5.91	-
	456.31	310.95
कुल व्यय	**1,279.38**	**1,705.20**

12. प्रति शेयर आय

विवरण	**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए**
प्रति शेयर प्राथमिक और न्यूनतम आय		
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य	10	10

शुद्ध लाभ/हानि, इक्विटी शेयर धारकों को लाभ हानि विवरण के अनुरूप कर के बाद	-	-
प्राथमिक ईपीएस की गणना के लिए डिनोमिनेटर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयर की औसत संख्या	50,000	50,000
प्रति शेयर प्राथमिक और न्यूनतम आय	-	-
कम्पनी द्वारा कोई भी डाईल्यूटिव उपाय जारी नहीं किया गया।		

बिहार इन्फ्रा पावर लिमिटेड

(सीआईएन:यू93000डीएल2015जीओआई282192)

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां

13. वित्तीय- उपाय

(1) पूजी प्रबंधन

कम्पनी बोर्ड आवश्यकता के आधार पर पूंजी प्रबंधन की समीक्षा करता है। पूंजी की जरूरतें उधारी और अग्रिम ऋण के जरिए पूरी की जाती हैं। कोष संबंधी जरूरतों की पूर्ति के लिए कम्पनी की नीति लघु अवधि और दीर्घावधि ऋण के उपयोग की है।

कम्पनी किसी बाहरी पूंजीगत आवश्यकताओं के लिए उत्तरदायी नहीं है

कम्पनी बोर्ड आवश्यकता के आधार पर पूंजी प्रबंधन की समीक्षा करता है। पूंजी की जरूरतें उधारी और अग्रिम ऋण के जरिए पूरी की जाती हैं। कोष संबंधी जरूरतों की पूर्ति के लिए कम्पनी की नीति लघु अवधि और दीर्घावधि ऋण के उपयोग की है।

(i) वित्तीय उपायों की श्रेणियां

(₹ in Hundreds)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	01 अप्रैल 2017 को
परिशोधित लागत पर दर्ज			
वित्तीय परिसम्पत्तियां			
नकदी और नकदी समतुल्य	491.74	8,000.00	5,000.00
वित्तीय देनदारियां			
उधारी	988.97	3,243.31	1,833.11
अन्य वित्तीय देनदारियां	1,444.62	3,582.50	287.50

(ii) वित्तीय जोखिम प्रबंधन लक्ष्य

कम्पनी की कॉर्पोरेट ट्रेजरी (कोषागार) का कार्य जोखिमों की तीव्रता और आशंकाओं का विश्लेषण कर कम्पनी की परिचालन संबंधी वित्तीय जोखिमों की निगरानी और प्रबंधन करना है। इन जोखिमों में बाजार संबंधी जोखिम, (मुद्रा संबंधी, ब्याज और अन्य मूल्य संबंधी जोखिम सहित), ऋण और तरलता संबंधी जोखिम शामिल हैं।

(iii) बाजार जोखिम

कम्पनी की गतिविधियों के कारण मुख्य रूप से ब्याज दरों में परिवर्तन संबंधी वित्तीय जोखिम प्रमुख हैं।

बाजार जोखमों का मापन संवेदी विश्लेषण का उपयोग कर किया जाता है
बाजार जोखिमों के प्रति कम्पनी के उपाय या जिन उपायों से इन जोखिमों का प्रबंधन किया जा रहा है, और उन्हें मापा जा रहा है, उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।

(iv) विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन

कम्पनी का विदेशी मुद्रा में कोई लेनदेन नहीं है।.

(v)ब्याज दर जोखिम प्रबंधन

कम्पनी के लिए ब्याज दर जोखिम की आशंका है, क्योंकि यह स्टेट सेक्टर उधारीकर्ता (श्रेणी ए) के तहत समय समय पर निर्धारित होने वाली (ब्याज की उतार चढ़ाव वाली दर) ब्याज दर पर राशि की उधारी करता है। वित्तीय परिसम्पत्तियों और वित्तीय देनदारियों पर ब्याज दर के प्रति कम्पनी का जोखिम इस टिप्पणी के तरलता जखिम प्रबंधन खंड में विस्तार से दिया गया है।

(vi) ब्याज दर संवेदनशीलता

विश्लेषण

नीचे दिए गए संवेदनशीलता विश्लेषण का निर्धारण रिपोर्टिंग अवधि के अंत में दोनों वित्तीय उपायों के लिए ब्याज दरों के प्रति प्रतिक्रिया के आधार पर किया गया है। फ्लोटिंग रेट देनदारियों के लिए विश्लेषण यह मान कर किया गया है कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया देनदारी राशि पूरे वर्ष के लिए बकाया थी। 50 आधार अंक की वृद्धि या कमी का उपयोग तब किया जाता है, जब ब्याज दर जोखिम, ब्याज दरों में संभावित तर्कसंगत बदलाव के प्रबंधन के आकलन को दर्शाता है।

ब्याज में 50 आधार अंक के उतार चढ़ाव के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण का ब्यौरा नीचे दिया ग या है, तथा अन्य सभी परिवर्तनीय कारकों को स्थिर रखा गया है।

विवरण	**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए**
अन्य व्यापक आय पर असर	- -	- -

(vii) मूल्य संबंधी अन्य

जोखिम

कम्पनी मूल्य संबंधी किसी जोखिम से नहीं जुड़ी है, क्योंकि यह कोई निवेश नहीं करती।.

(viii) ऋण जोखिम प्रबंधन

ऋण जोखिम वह जोखिम है, जब प्रतिपक्ष अनुबंध संबंधी दायित्वों को पूरा न करे, जिससे कम्पनी को वित्तीय हानि की आशंका होती हो।
कम्पनी के बैंक अधिशेष प्रसिद्ध और विश्वसनीय बैंकिंग संस्था के पास है, जिसकी वजह से प्रतिपक्षो से जोखिम आशंका काफी सीमित है। इसके अलावा कम्पमी द्वारा दिए गए ऋण होल्डिंग कम्पनियों को दिए गए हैं।

(ix) तरलता जोखिम प्रबंधन

कम्पनी तरलता या नकदी प्रवाह संबंधी जोखिमों का प्रबंधन पर्याप्त रिजर्व रख कर और अनुमानों तथा वास्तविक नकदी प्रवाह की निरंतर निगरानी कर और वित्तीय परिसम्पत्तियों और देनदारियों की परिपक्वता प्रोफाइल की तुलना कर करती है। यह तालिका 31 मार्च, 2019 को वित्तीय देनदारियों की अनुबंधगत परिपक्वता संबंधी ब्यौरा उपलब्ध कराती है।

(₹ सौ में)

विवरण	**मौजूदा राशि**	**पहले वर्ष में देय**	**2-5 वर्ष में देय**	**5 से अधिक वर्ष में देय**	**देयता तिथि नहीं**	**कुल अनुबंधित नकदी प्रवाह**
वित्तीय देनदारियां						
उधारियां	988.97	-	-	-	988.97	988.97
अन्य वित्तीय देनदारियां	1,444.62	1,444.62	-	-	-	1,444.62

यह तालिका 31 मार्च, 2018 को वित्तीय देनदारियों की अनुबंधगत परिपक्वता संबंधी ब्यौरा उपलब्ध कराती है।

(₹ सौ में)

विवरण	**मौजूदा राशि**	**पहले वर्ष में देय**	**2-5 वर्ष में देय**	**5 से अधिक वर्ष में देय**	**देयता तिथि नहीं**	**कुल अनुबंधित नकदी प्रवाह**
वित्तीय देनदारियां						
उधारियां	3,243.31	-	-	-	3,243.31	3,243.31
अन्य वित्तीय देनदारियां	3,582.50	3,582.50	-	-	-	3,582.50

यह तालिका 01 अप्रैल, 2017 को वित्तीय देनदारियों की अनुबंधगत परिपक्वता संबंधी ब्यौरा उपलब्ध कराती है।

(₹ सौ में)

विवरण	**मौजूदा राशि**	**पहले वर्ष में देय**	**2-5 वर्ष में देय**	**5 से अधिक वर्ष में देय**	**देयता तिथि नहीं**	**कुल अनुबंधित नकदी प्रवाह**
वित्तीय देनदारियां						
उधारियां	1,833.11	-	-	-	1,833.11	1,833.11
अन्य वित्तीय देनदारियां	287.50	287.50	-	-	-	287.50

यह तालिका 31 मार्च, 2019 को वित्तीय परिसम्पत्तियों की अनुबंधगत परिपक्वता संबंधी ब्यौरा उपलब्ध कराती है।

(₹ सौ में)

विवरण	**मौजूदा**	**पहले**	**2-5 वर्ष**	**5 से**	**देयता**	**कुल**

	राशि	वर्ष में देय	में देय	अधिक वर्ष में देय	तिथि नहीं	अनुबंधित नकदी प्रवाह
वित्तीय परिसम्पत्तियां	1,836.66	-	-	-	1,836.66	1,836.66

यह तालिका 31 मार्च, 2018 को वित्तीय परिसम्पत्तियों की अनुबंधगत परिपक्वता संबंधी ब्यौरा उपलब्ध कराती है।

(₹ सौ में)

विवरण	**मौजूदा राशि**	**पहले वर्ष में देय**	**2-5 वर्ष में देय**	**5 से अधिक वर्ष में देय**	**देयता तिथि नहीं**	**कुल अनुबंधित नकदी प्रवाह**
वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-	-	-	-	-

यह तालिका 01 अप्रैल, 2017 को वित्तीय परिसम्पत्तियों की अनुबंधगत परिपक्वता संबंधी ब्यौरा उपलब्ध कराती है।

(₹ सौ में)

विवरण	**मौजूदा राशि**	**पहले वर्ष में देय**	**2-5 वर्ष में देय**	**5 से अधिक वर्ष में देय**	**देयता तिथि नहीं**	**कुल अनुबंधित नकदी प्रवाह**
वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-	-	-	-	-

(x)वित्तीय परिसम्पत्तियों और वित्तीय देनदारियों का समुचित मूल्य :

(₹ सौ में)

विवरण	**उचित मूल्य अनुक्रम**	**31 मार्च 2019 को**		**31 मार्च 2018 को**		**01 अप्रैल 2017 को**	
		मौजूदा राशित	**उचित मूल्य**	**मौजूदा राशि**	**उचित मूल्य**	**मौजूदा राशि**	**उचित मूल्य**
वित्तीय परिसम्पत्तियां							
नकदी और नकदी समतुल्य	लेवल 3	491.74	491.74	8,000.00	8,000.00	5,000.00	5,000.00
वित्तीय देनदारियां							
उधारियां	लेवल 3	988.97	988.97	3,243.31	3,243.31	1,833.11	1,833.11
अन्य वित्तीय देनदारियां	लेवल 3	1,444.62	1,444.62	3,582.50	3,582.50	287.50	287.50

वित्तीय विवरणों में मौजूदा राशि के लगभग वित्तीय परिसम्पत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य दर्शाया गया है। वर्ष में लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के बीच कोई हस्तांतरण नहीं है। वित्तीय परिसम्पत्तियों और वित्तीय देनदारियों की मौजूदा राशि का मापन इंड एएस में परिशोधित लागत पर किया गया है। यह मापन उनके उचित मूल्य के लगभग निकट है, क्योंकि कम्पनी यह नहीं मानती कि मौजूदा मूल्य और संभावित प्राप्ति या तय मूल्य में महत्वपूर्ण अंतर होगा।

बिहार इन्फ्रा पावर लिमिटेड

(सीआईएन:यू93000डीएल2015जीओआई282192)

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां

14 संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन का विवरण

14.1 संबंधित पक्षों के नाम और संबंध का विवरण:

क्र सं	**संबंधित पक्ष का नाम**	**संबंध का स्वरूप**
1	पॉवर फाइहेंस कार्पोरेशन लिमिटेड	होल्डिंग कम्पनी
2	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी
3	छत्तीसगढ़ सरगूजा पॉवर लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी
4	कोस्टल कर्नाटक पॉवर लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी
5	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पॉवर लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी
6	ओडिसा इंटिग्रेटिड पॉवर लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी
7	कोस्टल तमिलनाडु पॉवर लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी
8	घोगरपल्ली इंटिग्रेटिड पॉवर कम्पनी लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी
9	तात्या आंध्रा मेगा पॉवर लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी
10	साखीगोपाल इंटिग्रेटिड पॉवर कम्पनी	सहयोगी कम्पनी

	लिमिटेड	
11	देवघर मेगा पॉवर लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी
12	ओडिसा इन्फ्रापॉवर लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी
13	चेय्यूर इन्फ्रा लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी
14	देवघर इन्फ्रा लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी
15	बिहार मेगा पॉवर लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी
16	झारखंड इन्फ्रापॉवर लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी
17	बल्लभगढ़-जीएन ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	सामान्य नियंत्रण के तहत उद्यम
18	टांडा ट्रांटमिशन कम्पनी लिमिटेड	सामान्य नियंत्रतण के तहत उद्यम
19	मोहिंदरगढ़-भिवानी ट्रांसमिशन लिमिटेड	सामान्य नियंत्रतण के तहत उद्यम
20	साउथ सेंट्रल ईस्ट दिल्ली पॉवर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सामान्य नियंत्रतण के तहत उद्यम
21	शोंगतोंग कर्चम-वांग्टू ट्रांसमिशन लिमिटेड	सामान्य नियंत्रतण के तहत उद्यम
22	बिजावर-विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड	सामान्य नियंत्रतण के तहत उद्यम
23	वापी-II नार्थ लखीमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सामान्य नियंत्रतण के तहत उद्यम

24	लाकड़िया-वडोदरा ट्रांसमिशनल प्रोजेक्ट लिमिटेड	सामान्य नियंत्रतण के तहत उद्यम
25	भुज-II ट्रांसमिशन लिमिटेड	सामान्य नियंत्रतण के तहत उद्यम
26	फतेहगढ़-II ट्रांसको लिमिटेड	सामान्य नियंत्रतण के तहत उद्यम
27	बीकानेर-खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड	सामान्य नियंत्रतण के तहत उद्यम

कम्पनी के मुख्य प्रबंधनकर्मी होल्डिंग कम्पनी पीएफसी के कर्मचारी हैं और अंशकालिक आधार पर नियुक्त हैं :

क्र सं	**नाम**	**पद**	**नियुक्ति की तारीख**	**Date of Cessation**
1	श्री योगेश जुनेजा	अध्यक्ष*	30.06.2015	कार्यरत
2	श्री सुबीर मूलचंदानी	अध्यक्ष**	16.09.2016	12.12.2018
3	श्री पी.सी. हेम्ब्रम	निदेशक	13.10.2017	कार्यरत
4	श्री राजू लक्ष्मनन***	नामित निदेशक	16.05.2017	कार्यरत
5	सुश्री शैली वर्मा	निदेशक	13.10.2017	कार्यरत

* 12.12.2018 से

** 12.12.2018 तक

*** बिजली खरीदार राज्यों से

14.2 लेनदेन का ब्यौरा :

14.2.1 संबंधित पक्षों से लेनदेन :

(₹ सौ में)

विवरण	**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष**	**31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष**
<u>पॉवर फाइनेंस कार्पोरेशन, होल्डिंग कम्पनी</u>		
ब्याज व्यय	414.90	310.95
ब्याज आय	5.91	-
उधारियां (निवल)	(2,669.24)	1,099.25
<u>पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड, सहयोगी शाखाएं</u>		
ब्याज व्यय	47.32	-
व्यय की प्रतिपूर्ति	814.81	1,394.25

14.2.2 संबंधित पक्ष के साथ बकाया शेषः

(₹ सौ में)

विवरण	**31 मार्च, 2019 को**	**31 मार्च, 2018 को**	**01 अप्रैल, 2017 को**
<u>पॉवर फाइनेंस कार्पोरेशन, होल्डिंग कम्पनी</u>			
उधारी (गैर मौजूदा)	-	2,669.24	1,569.99
भुगतान योग्य ब्याज/संचित लेकिन उधारी पर बकाया नहीं 'Interest payable/accrued but not due on borrowings	988.97	574.07	263.12
प्रदत्त ऋण प्रोदभूत ब्याज सहित	1,836.66	-	-
<u>पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड, सहयोगी कम्पनी</u>			
देय व्यय	862.12	-	-

14.3 प्रमुख प्रबंधकर्मियों का मुआवज़ा :

कम्पनी में कर्मचारी होल्डिंग कम्पनी (पीएफसी) के साथ समझौते के अनुरूप अनुबंध शर्तों पर हैं। निर्देशकों को किसी सिटिंग शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है।

बिहार इन्फ्रा पावर लिमिटेड							
(सीआईएन:यू93000डीएल2015जीओआई282192)							
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां							
15	नोट 11 में दर्शाए गए व्यय का आवंटन मुख्य रूप से पीएफसीएल/पीएफसीसीएल द्वारा विशेष प्रयोजन माध्यमों को किया गया है। परियोजना से संबंधि सभी कार्य पीएफसीसीएल के द्वारा किए जा रहे हैं। विशेष प्रयोजन माध्यमों से संबंधित प्रत्यक्ष व्यय सौ प्रतिशत के आधार पर आवंटित किए गए हैं और साझा व्यय विभिन्न विशेष प्रयोजन माध्यमों के बीच सेवा साझेदारी के आधार पर आवंटिक किए गए हैं। पीएफसीएल/पीएफसीसीएल द्वारा किए गए ऐसे व्यय के संदर्भ में मूल बिल पीएफसीएल/पीएफसीसीएल के नाम में है और उनकी प्रतियां कम्पनी के पास उपलब्ध हैं। पीएफसीएल/पीएफसीसीएल स्रोत पर कर कटौती और माल और सेवा कर के संबंध में इन व्यय पर लागू होने वाले सभी वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन कर रहा है।						
16	निर्माण अवधि (नोट 11) के दौरान किए गए व्यय के लिए पूंजी जुटाई गई है और इसे जारी पूंजीगत कार्य के प में दिखाया गया है, यह राशि खरीदारों/सफल नीलामीकर्ताओं से प्राप्त की जानी है।						
17	कम्पनी अपनी ओर से किए जाने वाले व्यय को जुटाने के लिए पीएफसी/पीएफसीसीएल द्वारा दी गई राशि पर होल्डिंग कम्पनी की नीति के अनुसार पीएफसी/पीएफसीसीएल को ब्याज का भुगतान करती है। इस ब्याज की दर, ऋणदाताओं से स्टेट सेक्टर ऋणदाता (श्रेणी ए) के तहत परियोजना/योजना ऋण के लिए, समय समय पर उनकी विज्ञप्ति के अनुसार लागू ब्याज दर होती है। 456.31 सौ रुपये (पिछले वर्ष 310.95 सौ रुपये) का कुल ब्याज व्यय वर्ष के लिए लेखा पुस्तिका में दर्ज किया गया है और इसे पूंजी माना गया है। इस संबंध में वित्तीय समझौता, भारत सरकार के बिजली मंत्रालय से इन्फ्रा विशेष प्रयोजन माध्यमों के लिए दिशा निर्देशों को अंतिम रूप देने के बाद, हो जाएगा। तब तक पीएफसी/पीएफसीसीएल कोष का इंतजाम करती है और इस पर ब्याज पीएफसी द्वारा परिचालित विशेष प्रयोजन माध्यमों से, उनके साथ हुए वित्तीय समझौते के अनुसार लिए जाने वाले ब्याज के अनुरूप देय है।						
18	**कर्मचारी लाभ योजनाएं**						
	चूंकि कम्पनी में कोई कर्मचारी नहीं है, इसलिए इंड एएस 19 के अनुरूप इस दायित्व का						

	सवाल नहीं उठता						
19	**प्रतिबद्धताएं :**						(₹ सौ में)
	विवरण				**31 मार्च 2019 को**	**31 मार्च 2018 को**	**01 अप्रैल 2017 को**
	क) पूंजी खाते पर लागू किए जाने वाले और शुद्ध अग्रिम के लिए उपलब्ध नहीं कराए जाने वाले बकाया अनुबंधों की अनुमानित राशि :				-	-	-
	ख) अन्य प्रतिबद्धताएं				-	-	-
20	**आपात देयताएं और आपात परिसम्पत्तियां**						(₹ सौ में)
	विवरण				**31 मार्च 2019 को**	**31 मार्च 2018 को**	**01 अप्रैल 2017 को**
	कम्पनी की आपात देयताएं और कम्पनी के खिलाफ दावे, कम्पनी प्रबंधन द्वारा उक्त अवधि के लिए प्रमाणिक होने के कारण कम्पनी द्वारा नहीं दर्शाया गया।				-	-	-
	कम्पनी के लिए अन्य कोई आपात परिसम्पत्तियां और आपात लाभ संभावित नहीं हैं।				-	-	-
21	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए बकाया विवरण, कम्पनी से मिली जानकारी के आधार पर :						
							(₹ सै में)
	विवरण				**31 मार्च 2019 को**	**31 मार्च 2018 को**	**01 अप्रैल 2017 को**
	क) मूल राशि और आपूर्तिकर्ता को भुगतान नहीं किए जाने पर लेखा अवधि के अंत में बकाया ब्याज				-	-	-

	ख) एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के खंड 16 की शर्तों के अनुरूप खरीदार द्वारा भुगतान किए गए ब्याज की राशि, लेखा अवधि के दौरान निर्धारित तिथि से इतर आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ				-	-	-
	ग) ब्याज की बकाया और विलम्ब की अवधि के लिए भुगतान की जाने वाली राशि, (जिसका भुगतान हो चुका है लेकिन अवधि के दौरान निर्धारित तिथि पर नहीं हुआ है) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज जोड़े बगैर।				-	-	-
	घ) ब्याज की प्रोदभूत और लेखाएवधि के अंत में भुगतान नहीं की गई राशि				-	-	-
	ङ) आगे बकाया रह गए और बाद के वर्षों में भी उस तिथि तक भुगतान किए जाने वाले बकाया ब्याज की राशि जब तक कि यह बकाया ब्याज लघु उद्यम को, एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के खंड 23 के तहत घटाए जाने वाले व्यय पर रोक के उद्देश्य से, चुका नहीं दिया जाता				-	-	-
22	**लेखाकार का पारिश्रमिक**						(₹ सौ में)
	विवरण					**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए**
	वैधानिक लेखा परीक्षण *					295.00	295.00
	* जीएसटी सहित						
23	**खंड संबंधी**						

	जानकारी						
	कम्पनी का निदेशक मंडल, जो मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता (डीओडीएम) माना गया है, कम्पनी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है, कम्पनी के विभिन्न प्रदर्शन संकेतकों के विश्लेषण के आधार पर संसाधनों का आवंटन करता है। कम्पनी का मुख्य लक्ष्य कोयला खंड लाइसेंस लेना, कोयला खंड भूमि, बिजली संयंत्र भूमि और अन्य भूमि लेना है और यह फिलहाल इस काम में लगी है और कम्पनी की समस्त गतिविधियां एकल इकाई होने के कारण इसके इर्दगिर्द हैं। इसके अलावा कोई अन्य भौगोलिक खंड नहीं हैं क्योंकि कम्पनी की समस्त गतिविधियां भारत में हैं। इसीलिए इंड एएस 108 'परिचालन खंडों' की आवश्यकता अनुसार कम्पनी के लिए अलग रिपोर्ट करने योग्य कोई खंड नहीं है।						
24	**अन्य स्पष्टीकरण :**						
	(क) विदेशी मुद्रा में व्यय - शून्य						
	(ख) विदेशी मुद्रा में आय - शून्य						
25	इंड एएस में स्थानांतरण की तिथि पर कम्पनी ने पूर्व के जीएएपी के अनुरूप सीडब्ल्यूआईपी के मौजूदा मूल्य पर इंड एएस 101 के अनुसार डीम्ड लागत के रूप में विचार किया है।						
26	कम्पनी ने 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष तक के लिए अपने वित्तीय विवरण तैयार किए हैं, पूर्व में व्यवहार्य जीएएपी की आवश्यकता के अनुरूप, जिसमें कम्पनी अधिनियम 2013 के खंड 133, कम्पनी लेखांकन नियम 2014 के साथ पठित, के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानक (एएस) शामिल हैं। वित्तीय विवरण में दर्शाई गई पूर्व अवधि उसी लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप दी गई है, जिनका उपयोग कम्पनी का पहला इंड एएस वित्तीय विवरण तैयार करने में किया गया है।						
27	**पहली बार इंड एएस अपनाने संबंधी मिलान-**						
27.1	31 मार्च 2018 और 1 अप्रैल 2017 के तुलनपत्रक में इंड एएस अपनाने का प्रभाव -						

							(₹ सौ में)
	विवरण	01 अप्रैल 17			31 मार्च 2018		
		पिछला जीएएपी	समायोजन	इंड एएस	पिछला जीएएपी	समायोजन	इंड एएस
	सम्पत्तियां						
	गैर चालू परिसम्पत्तियां						
	(क)जारी पूंजीगत कार्य	1,778.81	-	1,778.81	3,484.01	-	3,484.01
	(ख) वित्तीय परिसम्पत्तियां						
	(i) उधारी	-	-	-	-	-	-
	चालू परिसम्पत्तियां						
	(क) परिसम्पत्तियां						
	(i) नकदी और नकदी समतुल्य	5,000.00	-	5,000.00	8,000.00	-	8,000.00
	कुल परिसम्पत्तियां	**6,778.81**	**-**	**6,778.81**	**11,484.01**	**-**	**11,484.01**
	इक्विटी और देनदारियां						
	इक्विटी						
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	5,000.0	-	5,000.0	5,000.00	-	5,000.00

		0		0			
	(ख) अन्य इक्विटी	(341.80)	-	(341.80)	(341.80)	-	(341.80)
	कुल इक्विटी	4,658.20	-	4,658.20	4,658.20	-	4,658.20
	देनदारियां						
	गैर चालू देनदारियां						
	(क) वित्तीय देनदारियां						
	(i) उधारी	1,833.11	-	1,833.11	3,243.31	-	3,243.31
	चालू देनदारियां						
	(क) वित्तीय देनदारियां						
	(i) अन्य वित्तीय देनदारियां	287.50	-	287.50	3,582.50	-	3,582.50
	कुल चालू देनदारियां	2,120.61	-	2,120.61	6,825.81	-	6,825.81
	कुल इक्विटी और देनदारियां	**6,778.81**	**-**	**6,778.81**	**11,484.01**	**-**	**11,484.01**
27.2	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि विवरण में इंड एएस अपनाने संबंधी प्रभाव						
					(₹ सौ में)		

	विवरण		पिछला जीएएपी	समायोजन	इंड एएस		
	परिचालन से आय		-	-	-		
	अन्य आच		-	-	-		
	कुल आय (I)		**-**	**-**	**-**		
	व्यय						
	अन्य व्यय		-	-	-		
	कुल व्यय ((II)		**-**	**-**	**-**		
	कर पूर्व (I-II) लाभ/(हानि)		**-**	**-**	**-**		
	कर व्यय :						
	(1) चालू कर		-	-	-		
	(2) बकाया कर		-	-	-		
	कुल कर व्यय		**-**	**-**	**-**		
	अवधि के लिए लाभ/(हानि)		**-**	**-**	**-**		
27.3	31 मार्च 2018 और 1 अप्रैल 2017 को अन्य इक्विटी में इंड एएस अपनाने का प्रभाव						
				(₹ सौ में)			

	विवरण		**31 मार्च 2018 को**	**01 अप्रैल 2017 को**			
	आईजीएएपी के तहत रिपोर्टिड अन्य इक्विटी		(341.80)	(341.80)			
	इंड एएस समायोजन :						
	पूर्व अवधि समायोजन		-	-			
	इक्विटी पर कुल प्रभाव		**-**	**-**			
	इंड एएस के तहत रिपोर्टिड अन्य इक्विटी		**(341.80)**	**(341.80)**			

27.4	31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण पर इंड एएस अपनाने का प्रभाव						
						(₹ सौ में)	
	विवरण*			**Previous GAAP**	**समायोजन**	**इंड एएस**	
	परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह			3,295.00	-	3,295.00	
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह			(1,705.20)	-	(1,705.20)	
	Net Cash flow from Financing Activities			1,410.20	-	1,410.20	
	वर्ष के दौरान नकदी और नकदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/कमी			**3,000.00**	**-**	**3,000.00**	
	जोड़ : वित्तीय वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य			5,000.00	-	5,000.00	
	अवधि के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य			8,000.00	-	8,000.00	
	* वर्ष के दौरान इन आंकड़ों को पुनःवर्गीकृत किया गया है।						
28	**वित्तीय विवरणों का अनुमोदन**						
	31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरण निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए और 20.05.2019 को जारी करने के लिए अधिकृत किए गए						
	कृते निदेशक						

	मंडल एवं उनकी ओर से						
	(पी सी हेम्ब्रम) **(शैली वर्मा)** **(योगेश जुनेजा)**						
	निदेशक			**निदेशक**			
	अध्यक्ष						
	DIN:02750881 **DIN:07935630** **DIN:02913155**						
	सम तिथि की रिपोर्ट के अनुरूप						
	कृते						
	एमएस सेखों एंड कम्पनी						
	(सनदी लेखाकार)						
	(कम्पनी पंजीकरण संख्या. : 003671N)						
	राजीव टंडन						
	(साझेदार)						
	सदस्यता संख्या 087343						
	स्थान - नई दिल्ली						
	दिनांक 20.05.2019						